

बिहार सरकार  
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

2054  
11-08-2017

आदेश

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक-01.08.17 को सम्पन्न बैठक में की गई अनुशंसा, वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या-7566 दिनांक-14.07.2010, 2561 दिनांक-23.03.2011, 8594 दिनांक-17.08.2012, 5152 दिनांक-21.05.2013, 1720 दिनांक-19.02.2014 एवं 4685 दिनांक-25.06.2003 में निहित प्रावधानों के आलोक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत/सेवानिवृत्त/मृत समुह 'ग' के कर्मियों को बिहार राज्य सेवा शर्त नियमावली, 2003 एवं रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना, 2010 के तहत उनके नाम के सामने अंकित तिथि एवं वेतनमान/पुनरीक्षित वेतनमान संरचना में देय ग्रेड वेतन में प्रथम/द्वितीय/तृतीय सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन/रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र० सं०	नाम/पदनाम कार्यालय का नाम	जन्म तिथि	से०नि०की तिथि	विभाग में योगदान की तिथि	सेवा संपुष्टि की तिथि	प्रथम ACP देने की तिथि	द्वितीय ACP देने की तिथि	तृतीय ACP देने की तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री संजय कुमार, लिपिक, जि०क०कार्या० कटिहार	16.12.1974	31.12.1934	05.02.1997	05.02.2000	05.02.2009 9300.34800 ग्रेड पे०-4200	-	-
2	श्री नागेश्वर प्रसाद सिंह, लिपिक, जि०क०कार्या० पटना	05.06.1963	30.06.2023	16.03.1985	16.03.1988	प्राप्त	प्राप्त	16.03.2015 9300-34800 ग्रेड पे०-4800
3	श्री विन्देश्वर सिंह, लिपिक, जि०क०कार्या० शेखपुरा	02.03.1959	31.03.1919	10.12.1986	10.12.1989	प्राप्त	प्राप्त	10.12.2016 9300-34800 ग्रेड पे०-4800
4	श्री चंदेश्वर प्रसाद, जीप चालक, जि०क०कार्या० नवादा	05.11.1959	30.11.2019	05.11.1988	05.11.1991	05.11.2000 4000-6000	01.01.09 5200-20200 ग्रेड पे०-2800	-

2- वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या-1802 दिनांक-23.03.06 में निहित प्रावधान के आलोक में उल्लेखित समूह 'ग' के कर्मियों को वेतन का निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम-22(1) A (i) के अनुसार किया जायेगा

3- भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित कर्मी को प्रदत्त ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जाएगा एवं उन्हें भुगतान की गयी राशि/अंतर की राशि की वसूली कर ली जायेगी।

ज्ञापांक-02/क्ष0 स्था0-15-07/2017- 2054

पटना, दिनांक- 11-08-2017

प्रतिलिपि:-सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित उप निदेशक, कल्याण/सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी संबंधित अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी/सभी संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*Wk* *Wk*

*Wk*  
निदेशक

*Wk*  
निदेशक